

मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह

भोपाल, दिनांक 27/07/09

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा पदत शक्तियों प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा जिले में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों और अन्य परियोजनाओं से संबंधित उद्यमियों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के लिए रूपये 10 करोड़ (रूपये दस करोड़) तक की वित्तीय सीमा अधिसूचित करती है; जिन पर, जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुरारण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह, दिनांक 27/7/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

प्रतिलिपि :-

- 1) नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचनाओं को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें, प्रकाशन की 200 प्रतियां कृपया इस विभाग को भेजें ।
- 2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम/आवास एवं पर्यावरण/वाणिज्यिक कर/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 3) अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर/पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
- 4) उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 5) मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
- 6) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, भोपाल ।
- 7) प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि०, भोपाल ।
- 8) समागीय आयुक्त भोपाल/होशंगाबाद /इन्दौर/उज्जैन /ग्वालियर/चम्बल(मुरैना) /रीवा/शहडोल/जबलपुर/सागर मध्यप्रदेश ।
- 9) संचालक, संस्थागत वित्त, विद्याचल-भवन, भोपाल ।
- 10) संचालक, ग्राम एवं नगर निवेश, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल ।
- 11) कलेक्टर, ..... मध्यप्रदेश ।
- 12) महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ..... मध्यप्रदेश ।
- 13) परिक्षेत्रीय अधिकारी, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, ..... मध्यप्रदेश ।
- 14) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि०, इन्दौर/भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा/उज्जैन, (म०प०) ।

15/08/2009

30/7/09

30/08/2009

1904

दिनांक 30/7/09

21/7/09

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश  
(उद्योग संवर्धन नीति प्रकोष्ठ)

(एम.एस.सोलंकी)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और प्रोजेक्ट्स विभाग  
भोपाल, दिनांक 31/07/2009

पू०क्र० 06/उसनीप/(10)/09/507-567  
प्रतिलिपि:-

- 1/ अपर/संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/रीवा।
- 1/ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर/भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन।
- 2/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.....(समस्त)।
- 3/ अपर/संयुक्त/उप संचालक उद्योग, विन्तीय सहायता कक्ष/एम.एस.एम.ई. कक्ष/सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष/समन्वय कक्ष, मुख्यालय, भोपाल।

उप संचालक उद्योग  
कृते उद्योग आयुक्त.

मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह

भोपाल, दिनांक 27/07/09

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा राज्य में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों और अन्य परियोजनाओं से संबंधित उद्यमियों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के लिए रुपये 10 करोड़ (रुपये दस करोड़) से अधिक तथा रुपये 25 करोड़ (रुपये पच्चीस करोड़) तक की वित्तीय सीमा अधिसूचित करती है, जिन पर राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, दिनांक 27/7/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ०क्र० एफ 20-32/08/बी-ग्यारह


भोपाल, दिनांक 27/07/09

प्रतिलिपि :-

- 1) नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचनाओं को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें, प्रकाशन की 150 प्रतियां कृपया इस विभाग को भेजें।
- 2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त/वाणिज्यिक कर/श्रम/आवास एवं पर्यावरण/ऊर्जा/राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 3) विशेष सहायक माननीय मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार/वित्त/वाणिज्यिक कर विभाग।
- 4) मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
- 5) उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, भोपाल।
- 7) प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि०, भोपाल।

92007/32344/09  
30/7/09

JD/FA



(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग


उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश  
(उद्योग संवर्धन नीति प्रकोष्ठ)

पृ०क्र०: 05/उसनीप/(10)/09/438-502

भोपाल, दिनांक 31.07.2009

प्रतिलिपि:-

- 1/ आर/संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल/इंदौर/जबलपुर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/रीवा।
- 1/ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर/भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन।
- 2/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.....(समस्त)।
- 3/ आर/संयुक्त/उप संचालक उद्योग, वित्तीय सहायता कक्ष/एम.एस.एम.ई. कक्ष/सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष/समन्वय कक्ष, मुख्यालय, भोपाल।

  
उप संचालक उद्योग  
कृ. उद्योग आयुक्त.

मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग


क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह

भोपाल, दिनांक 27/07/09

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 3 की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा राज्य में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों और अन्य परियोजनाओं से संबंधित उद्यमियों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के लिए रूपये 25 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़) से अधिक की वित्तीय सीमा अधिसूचित करती है जिन पर, शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा दिचार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, अधिसूचित "थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों" से संबंधित प्रस्तावों के मामले में वित्तीय सीमा रूपये 10 करोड़ (रूपये दस करोड़) से अधिक होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,


  
(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, दिनांक 27/7/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 27/07/09

पृ0क्र0 एफ 20-32/08/बी-ग्यारह

प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचनाओं को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें, प्रकाशन की 100 प्रतियां कृपया इस विभाग को भेजें।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. विशेष सहायक माननीय मंत्री, वित्त/वाणिज्यिक कर/वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग।
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
6. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि0, भोपाल।

(एम.एस.सोलंकी)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

30 06/31/09  
30/7/09

08/11/09  
28/7/09

TD/FA

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश  
(उद्योग संवर्धन नीति प्रकोष्ठ)

पृ0क्र0: 04/उसंनीप/(10)/09/373-437

भोपाल, दिनांक 31.07.2009

प्रतिलिपि:-

- 1/ अपर/संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल/इंदौर/जबलपुर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/रीवा।
- 1/ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर/भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन।
- 2/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.....(समस्त)।
- 3/ अपर/संयुक्त/उप संचालक उद्योग, वित्तीय सहायता कक्ष/एम.एस.एम.ई. कक्ष/सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष/समन्वय कक्ष, मुख्यालय, भोपाल।

उप संचालक उद्योग  
कृते उद्योग आयुक्त.